रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222947
CG-DL-E-04112020-222947

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2020/कार्तिक 13, 1942
No. 565] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020/KARTIKA 13, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 689(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) के अधीन पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 799 (अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 18 अक्तूबर, 2019 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 7 में, -

(i) उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3) ऐसे मामले में जहां किसी प्रकृत व्यक्ति अथवा स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी को छोड़कर किसी प्रकृत व्यक्ति को पूर्णतः या अंशतः अंतरित करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही की जाती है तो किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी से ली गई फीस और प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी को छोड़कर किसी व्यक्ति से ली जाने वाली निश्चित फीस की मात्रा का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ भुगतान किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (3क) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (3ख) का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"स्पष्टीकरण- जहां स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी ने पेटेंट आवेदन फाइल किया है लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अवधि के बीत जाने के कारण स्टार्टअप अथवा छोटी कंपनी नहीं रह जाती है अथवा उसका कारोबार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा को पार कर जाता है तो ऐसे मामले में फीस की मात्रा में आए किसी अंतर का भुगतान नहीं करना होगा।";

(v) उप-नियम (3ख) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियम में, पहली अनुसूची की सारणी 1 को निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्रविष्टि संख्या	जिस पर संदेय है	संबद्ध प्रपत्र संख्या	ई-फाइलिंग के लिए		वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए	
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्ट-अप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) के साथ	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्ट-अप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) के साथ
1	2	3	4	5	6	7
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/पूर्ण विवरण के साथ धारा 7, 54 और 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1600 के गुणज में	8000 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8000 के गुणज में	1750 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 1750 के गुणज में	8800 प्रत्येक अलग वरीयता के लिए 8800 के गुणज में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं
2.	अनंतिम विवरण के पश्चात् सम्पूर्ण विवरण फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए ।		(iii) 160 अधिकतम 24000 के अध्यधीन	(iii) 800 अधिकतम 120000 के अध्यधीन	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं

3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	i) धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 80(1क) और 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	480	2400	530	2600
	ii) नियम 24 ख के उप-नियम (5) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	1000	4000	1100	4400
	iii) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)।	4	2000	10000	2200	11000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के अनुसार घोषणा दायर करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर;	6	800	4000	880	4400
	(ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6	800	4000	880	4400
9.	(i) धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने के विरोध की नोटिस पर ;	7	2400	12000	2600	13200
	(ii) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने पर।	7 क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	-	1500	7500	1700	8300
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	4000	880	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	12500	2750	13750
13.	धारा 11ख(4) और नियम 7 (4क) और 26 के अधीन आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन।	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
14.	पेटेंट आवदेन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर -					
	(i) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन;	18	4000	20000	4400	22000
	(ii) नियम 20(4)(ii) के अधीन।		5600	28000	6150	30800
14क.	नियम 24ग के अधीन पेटेंट हेतु त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर।	18 क	8000	60000	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
14ख.	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए फाइल अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध में परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	40000	अनुमत्त नहीं	अनुमत्त नहीं
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	12000	2650	13200
16.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवदेन पर।	11	2400	12000	2650	13200
17.	धारा 26(1) या 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	12000	2650	13200
18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में बदलने करने के अनुरोध पर।	-	2400	12000	2650	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण के लिए -					
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200

IndiaCode

(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष के संबंध में।		8000	40000	8800	44000
20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13				
(i)	पेटेंट प्रदान करने से पूर्व;		800	4000	880	4400
(ii)	पेटेंट प्रदान करने के पश्चात्;		1600	8000	1750	8800
(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	1600	350	1750
21.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	12000	2650	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	12000	2650	13200
23.	धारा 61(3) और नियम 86(1) के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	—	4800	24000	5300	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	—	1000	5000	1100	5500
25.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90 (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	1750 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)
26.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवदेन पर।	—	320	1600	350	1750
27.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
28.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर।	17	2400	12000	2650	13200
29.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट को रद्द करने के लिए आवेदन पर।	19	2400	12000	2650	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	12000	2650	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य लाइसेंस की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	12000	2650	13200
32.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	3500	लागू नहीं

IndiaCode

33.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	—	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए —					
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली;	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
	(ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	—	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन पर	--	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
36.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवदेन पर।	23	1600 (प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन जारी रखने की फीस के अलावा)	लागू नहीं	1750 (प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन जारी रखने की फीस के अलावा)	लागू नहीं
37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	—	800	4000	880	4400
38.	धारा 77(1)(च) या 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश की समीक्षा या लंबित रखने के लिए आवदेन पर।	24	1600	8000	1750	8800
39.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुमति हेतु आवदेन पर।	25	1600	8000	1750	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन डुप्लिकेट पेटेंट के लिए आवदेन पर।	—	1600	8000	1750	8800
41.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए।	--	2400 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	12000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	—	800	4000	880	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	—	320	1600	350	1750
44.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	—	480	2400	530	2650
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रपत्र पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	—	1600	8000	1750	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ।	—	10	10	10	10
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण फीस।	—	3200	16000	3500	17600
48क.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस (ई-पीसीटी फाइलिंग के लिए)।	—	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
49.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	—	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
49क.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और डब्ल्यूआईपीओ डीएएस के माध्यम से ई-पारेषण के लिए।	—	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IndiaCode

50.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण से संबंधित विवरण पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
51.	छोटी इकाई या स्टार्टअप होने का दावा करने के लिए	28	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
52.	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)।	-	1000	5000	1100	5500
53.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्रपत्र, जब अन्य कोई प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो तब प्रयोग करने के लिए।	30	यथा लागू			

"

4. मूल नियम में, नियम 24 ग के उप-नियम (5) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि इस नियम के अधीन किसी स्टार्टअप द्वारा दायर त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध पर केवल इस आधार पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाएगा कि स्टार्टअप अथवा छोटी इकाई पेटेंट आवेदन दायर करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त अवधि के बीत जाने अथवा तत्पश्चात उसका कारोबार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा पार कर लेने के कारण, वह स्टार्टअप अथवा छोटी इकाई नहीं रह जाती है।"।

[फा. सं. पी-24027/4/2020-आईपीआर-III]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे व अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2020 के द्वारा किए गए थे।

indiacode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2020

G.S.R. 689(E).—Whereas, the draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 2003 were published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 799 (E) dated the 18th October, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 18th day of October, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Patents (2nd Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 7, -

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) In case an application processed by a natural person or startup or small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup or small entity, the difference,

if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup or small entity and the fees chargeable from the person other than a natural person, startup or small entity in the same matter, shall be paid by the new applicant with the request for transfer.";

(ii) sub-rule (3A) shall be omitted;

(iii) sub-rule (3B) shall be omitted;

(iv) after sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation— Where a startup or small entity, having filed an application for a patent, ceases to be a startup or small entity due to the lapse of the period during which it is recognized by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority, no such difference in the scale of fees shall be payable.";

(v) explanation to sub-rule (3B) shall be omitted.

3. In the principal rules, for Table I of the FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted, namely:—

Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)
1	2	3	4	5	6	7
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority.	8000 Multiple of 8000 in case of every multiple priority.	1750 Multiple of 1750 in case of every multiple priority.	8800 Multiple of 8800 in case of every multiple priority.
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10.		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000	Not allowed	Not allowed
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	2400	530	2600
	ii) On request for extension of time under sub-rule (5) of rule 24B (per month).	4	1000	4000	1100	4400
	iii) On request for extension of time under sub-rule (11) of rule 24C (per month).	4	2000	10000	2200	11000
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	4000	880	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19(2).	-	800	4000	880	4400
8.	(i) On claim under section 20(1);	6	800	4000	880	4400
	(ii) On request for direction under section 20(4) or 20(5).	6	800	4000	880	4400

9.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2); (ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7 7A	2400 No fee	12000 No fee	2600 No fee	13200 No fee
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	7500	1700	8300
11.	On application under sections 28(2), 28(3) or 28(7).	8	800	4000	880	4400
12.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	12500	2750	13750
13.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee
14.	On request for examination of application for patent— (i) under section 11B and rule 24(1); (ii) under rule 20(4)(ii).	18	 4000 5600	 20000 28000	 4400 6150	 22000 30800
14A.	On request for expedited examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	60000	Not allowed	Not allowed
14B.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited examination under rule 24C.	18 A	4000	40000	Not allowed	Not allowed
15.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	12000	2650	13200
16.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	12000	2650	13200
17.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	12000	2650	13200
18.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	12000	2650	13200
19.	For renewal of a patent under section 53—					
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	4000	880	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	4000	880	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	4000	880	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	4000	880	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.		8000	40000	8800	44000
20.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13				

IndiaCode

(i)	before grant of patent;		800	4000	880	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	8000	1750	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	1600	350	1750
21.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	12000	2650	13200
22.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	12000	2650	13200
23.	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	—	4800	24000	5300	26400
24.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	—	1000	5000	1100	5500
25.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).	16	1600 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)
26.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	—	320	1600	350	1750
27.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	—	800	4000	880	4400
28.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	12000	2650	13200
29.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	12000	2650	13200
30.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	12000	2650	13200
31.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	12000	2650	13200
32.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	3500	Not applicable
33.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	—	1600	Not applicable	1750	Not applicable
34.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—					
	(i) for the 1st year to be paid along with registration;	—	800	Not applicable	880	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year to be paid on the 1st April in each year.	—	800	Not applicable	880	Not applicable
35.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	--	1600	Not applicable	1750	Not applicable
36.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable	1750 (Plus continuation fee under entry number 34)	Not applicable
37.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	—	800	4000	880	4400
38.	On application for review or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).	24	1600	8000	1750	8800
39.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	8000	1750	8800
40.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	—	1600	8000	1750	8800
41.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).	--	2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)

IndiaCode

42.	For certifying office copies, printed each.	—	800	4000	880	4400
43.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	—	320	1600	350	1750
44.	On request for information under section 153 and rule 134.	—	480	2400	530	2650
45.	On form of authorisation of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee
46.	On petition not otherwise provided for.	—	1600	8000	1750	8800
47.	For supplying of photocopies of the documents, per page.	—	10	10	10	10
48.	Transmittal fee for International application.	—	3200	16000	3500	17600
48A.	Transmittal fee for International application (for ePCT filing).	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
49.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organization.	—	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
49A.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.	—	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
50.	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee
51.	To be submitted for claiming the status of a small entity or startup	28	No fee	No fee	No fee	No fee
52.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	5000	1100	5500
53.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30	As applicable			

”

4. In the principal rules, for the proviso to sub-rule (5) of rule 24C, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a request for expedited examination under this rule filed by a startup or small entity shall not be questioned merely on the ground that the startup or small entity, having filed an application for a patent, ceases to be a startup or small entity due to the lapse of the period during which it is recognised by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority.”.

[F. No. P- 24027/4/2020-IPR-III]

RAVINDER, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended *vide* notification number G.S.R. 652 (E) dated the 19th October, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.11.04 20:00:44 +05'30'